HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 2381/2026

Shyamveer Singh Dagur S/o Shri Naulakh Singh, Aged About 33 Years, R/o Village Khijuri, Police Station Suroth, District Karauli (Raj.)
(At Present Accused Petitioner Confined In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Lalit Gautam, Adv. Mr. Rajeev Kumar Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP Mr. Jitendra Nawariya, I.O., Dy. SP, SOG, Jaipur.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

24/03/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–एस.ओ.जी., जिला–ए.टी.एस. व एस.ओ.जी. में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–43/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 61(2) बी.एन.एस. में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का निवेदन है कि अभियुक्त निर्दोष है, अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन वापिस लिये जाने के आधार पर निस्तारित हुआ था, दिनांक 21.08.2025 से अभिरक्षा में है, अनुसंधान होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है, बकाया अभियुक्तगण के विरूद्ध यद्यपि अनुसंधान लंबित है, परंतु प्रथम जमानत आवेदन निस्तारित करते समय अन्य

अभियुक्तगण के विरूद्ध 45 दिवस में अनुसंधान पूर्ण करने का निर्देश दिया गया था, 45 दिवस की अवधि पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध विचारण में समय लगेगा, कथित कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नहीं लिया गया है, अंत में प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्त द्वारा अनाधिकृत भारत सेवक समाज संस्था, चेन्नई से षड्यंत्र रचते हुए फायर टैक्नीशियन के पद हेतु काफी लोगों के लिए बैक–डेट में कूटरचित डिप्लोमा प्रमाण पत्र आदि प्राप्त कर अनुचित धनराशि प्राप्त की गई है, वृहद स्तर पर एक गिरोह सक्रिय है, बकाया अभियुक्त की गिरफ्तारी में अभी समय लगना स्वाभाविक है, अंत में अपराध की गंभीरता व अनुसंधान लंबित होने की स्थिति को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त का यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संबंध में अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में यह आरोप है कि भारत सेवक समाज संस्था, चेन्नई के द्वारा बिना किसी मान्यता व अधिकार के फायर टैक्नीशियन व परचेज एण्ड स्टोर कीपर आदि के संबंध में संपूर्ण भारतवर्ष में करीब दस हजार प्रशिक्षण केन्द्र अपने स्तर पर अनाधिकृत रूप से मान्यता देते हुए संचालित किये गये तथा वर्तमान में करीब सात हजार ऐसे प्रशिक्षण संस्थान अनाधिकृत रूप से संचालित हैं, जिसमें से एक संस्थान ए.एस. फायर एण्ड सेफ्टी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करौली प्रार्थी–अभियुक्त श्यामवीर सिंह द्वारा संचालित किया जा रहा है।

यह भी आरोप है कि भारतीय नौ सेना में फायर टैक्नीशियन के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किये गये थे, जिसकी अंतिम तिथि 18.07.2025 थी और इस क्रम में प्रार्थी–अभियुक्त श्यामवीर द्वारा अपात्र अभ्यर्थियों को पात्र बनाने के लिए बैक–डेट में डिप्लोमा/डिग्री आदि डिजिटल

फोर्म में भारत सेवक समाज संस्था से प्राप्त कर अपात्र व्यक्तियों को उपलब्ध करवाये। प्रार्थी–अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरांत उसके कब्जे से लैपटोप व अन्य सामग्री बरामद हुई है, जिसमें डिजिटल फोर्म में उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध हुए हैं तथा ई–मित्र संचालक द्वारा अपात्र व्यक्तियों से इस आपराधिक कृत्य के लिए अनुचित राशि प्राप्त कर प्रार्थी–अभियुक्त के बैंक खाते में समय–समय पर अंतरित की है।

प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये हैं, उससे यह प्रकट हुआ है कि एक बड़े गिरोह के रूप में लम्बे समय से इन आपराधिक गतिविधियों व कृत्यों को क्रियान्वित किया जा रहा है, अपात्र व्यक्तियों के चयन होने पर योग्य अभ्यर्थी, जो परिश्रम के साथ अध्ययन कर आशान्वित रहते हैं, उनके सपनों पर कुठाराघात होता है, उसके अलावा भारतीय नौ सेना में अपात्र व्यक्तियों के चयन से सुरक्षा को भी खतरा होता है। वर्तमान में जो आरोप लगाये गये हैं, वे किसी आवेशजनित घटना से संबंधित नहीं हैं अपितु अनुचित आर्थिक लाभ के लिए लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में वृहद स्तर पर संलग्न होने का आरोप है। यद्यपि पूर्व में प्रथम जमानत आवेदन खारिज करते समय 45 दिवस में अनुसंधान पूर्ण करने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन यह प्रकट हुआ है कि भारत सेवक समाज संस्था, चेन्नई के चैयरमेन फरार है, उनका गिरफ्तारी वारण्ट प्राप्त किया जा चुका है तथा जो असफल लाभार्थी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होकर अनुसंधान होना शेष है। ऐसे मामलों में गहन अनुसंधान अपेक्षित हो जाता है तथा स्वाभाविक रूप से अनुसंधान में एक सारवान समय व्यतीत होता है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया था कि सह–अभियुक्त आरिफ मोहम्मद की जमानत मजिस्ट्रेट न्यायालय से ही स्वीकार हो चुकी है और समानता के आधार पर जमानत का निवेदन किया, लेकिन अभिलेख से यह प्रकट हुआ है कि सह–अभियुक्त आरिफ मोहम्मद का जमानत आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, जिसे वापिस लिया गया और तत्पश्चात्

मजिस्ट्रेट न्यायालय से अभियुक्त की जमानत होना असामान्य परिस्थिति होने से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा यह अवगत कराया गया है कि आरिफ मोहम्मद द्वारा इस न्यायालय में जमानत पेश करने व वापिस लिये जाने का तथ्य प्रकट नहीं किया गया था तथा इस मामले में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, यह भूलवश उनके ज्ञान में नहीं आने से जमानत सुविधा प्रदान की गई है, उसके लिए खेद भी प्रकट किया है। जो भी स्थिति रही हो, कांलातर में विद्वान सेशन न्यायालय से अभियुक्त आरिफ मोहम्मद को दी गई जमानत सुविधा निरस्त कर दी गई है। सह–अभियुक्त का यह आचरण गंभीर है, ऐसी स्थिति में समानता का दावा अस्वीकार किया जाता है।

अतः प्रस्तुत तर्कों, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आक्षेपों की गंभीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर विवेचन किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /03